न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 115 सन् 2018
पंजीयन दिनांक 21.06.2018

1. बद्रीलाल पिता भगवानलाल जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. भंवरलाल पिता रामा जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांटगण

विरुद्ध

1. माधु पिता उदा जाति जाट मृतक के बजाय–
   1. शम्भुलाल पिता माधु जाति जाट–मृतक के बजाय
      1. गंगादेवी पत्नि शम्भुलाल जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
      2. अमित पिता शम्भुलाल जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
      3. गीता पिता शम्भुलाल जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   2. एजी पत्नि रामेश्वर जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. लेहरू पिता उदा जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. प्रभु पिता गिरधारी जाति जाट मृतक के बजाय–
   1. सोसर पत्नि प्रभु जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   2. प्रेमदेवी पत्नि मोहन जाति जाट निवासी चोगावडी तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
4. सुखदेव पिता गिरधारी जाति जाट–मृतक के बजाय
   1. भेरू पिता सुखदेव जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   2. गंगा पुत्री सुखदेव जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   3. चांदी पत्नि सुखदेव जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
5. नाना पिता गिरधारी जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
6. भारतीय स्टेट बैंक शाखा पुठोली जरिये शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा पुठोली तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
7. भूमिधारी तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
8. उप–पंजीयन अधिकारी गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
प्रकरण संख्या 25/2018 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2018

उपस्थित- 1. छोगालाल जाट-अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. चम्पालाल जाट-रेस्पोडेन्ट सं. 2
3. सावन श्रीमाली-रेस्पोडेन्ट सं. 4
4. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7

निर्णय **दिनांक 10.10.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 5 प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अपीलांटगण के मौजा आजोलियो का खेडा की खाता संख्या 245 में दर्ज आराजी नम्बर 906, 907, 908, व 1406/126, 1409/125 कुल किता 5 कुल रकबा 0.95 हैक्टेयर व खाता संख्या 250 मे दर्ज आराजी संख्या 383 रकबा 0.45 हैक्टेयर व खाता संख्या 251 मे दर्ज आराजी संख्या 122, 129, 731, 732, 733, 735 कुल किता 6 कुल रकबा 1.43 हैक्टेयर अवस्थित है। वादपत्र की चरण संख्या 1(अ) वर्णित कृषि आराजीयात मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 वादीगण का 36/95 हक हिस्सा व अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का 36/95 हक हिस्सा व खाता संख्या 250 मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 वादीगण का 1/2 हक हिस्सा व रेस्पोडेन्टगण संख्या 3 से 5 प्रतिवादीगण का 1/2 हक व हिस्सा दर्ज रेकॉर्ड है। उसी अनुसार उक्त आराजीयात का विभाजन किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड मे अलग-अलग खातेदारी मे दर्ज की जावे। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 वादीगण की ओर से अपीलांटगण व रेस्पोडेन्टगण संख्या 3 से 5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष भी चाहा गया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 वादीगण की ओर से दिनांक 23.04.2018 को प्रस्तुत किया गया। जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण 1 व 2 व रेस्पोडेन्टगण सं. 3 से 8 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया व आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.05.2018 नियत की गई। अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की किसी प्रकार की कोई तामील अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में नहीं हुई। बिना तामील के अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त पत्रावली को दिनांक 17.05.2018 को लोक अदालत मे नियत की गई। बिना साक्ष्य व सबूत के व बिना किसी लिखित राजीनामे के उक्त पत्रावली मे लोक अदालत के तहत दिनांक 17.05.2018 को तहसीलदार गंगरार

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कमिश्नर नियुक्त करते हुए प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। प्राथमिक निर्णय व डिक्री पालना हेतु तहसीलदार गंगरार द्वारा बिना सूचना पत्र जारी किये फर्द बंटवाड़े मे यह अंकित करते हुए कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अपीलांट्गण को मौखिक सूचना दी गई व उसके आधार पर अपने अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक के द्वारा फर्द बंटवाड़ा तैयार करवाया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया व उसी फर्द बंटवाड़े के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.05.2018 को कैम्प कोर्ट चोगावड़ी मे बिना किसी लिखित राजीनामे के केवल रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 व 2 वादीगण की उपस्थिति मे अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी ।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 4/1, 4/2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अन्य रेस्पोडेन्ट्गण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने विवादित कृषि आराजीयात मे बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा की दाद चाहते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया था, जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण 1 व 2 व रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 8 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। व आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.05.2018 नियत की गई। अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादीगण संख्या 3 से 8 रेस्पोडेन्ट्गण की किसी प्रकार की कोई तामील अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में नहीं हुई। बिना तामील के अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया का अवहरण कर उक्त पत्रावली को दिनांक 17.05.2018 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट आजोलिया का खेड़ा मे नियत की गई। बिना साक्ष्य व सबूत के उक्त पत्रावली मे बिना किसी लिखित राजीनामे के उक्त पत्रावली मे लोक अदालत के तहत दिनांक 17.05.2018 को तहसीलदार गंगरार को कमिश्नर नियुक्त करते हुए प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। प्राथमिक निर्णय व डिक्री पालना हेतु तहसीलदार गंगरार द्वारा बिना सूचना पत्र जारी किये फर्द बंटवाड़े मे यह अंकित करते हुए कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अपीलांट्गण को मौखिक सूचना दी गई उसके आधार पर अपने अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक के द्वारा फर्द बंटवाड़ा तैयार करवाया गया जो बंटवाड़ा नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। उक्त फर्द

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

बंटवाड़े पर उभय पक्षकारान की आपत्ति व ऐतराज प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त फर्द बंटवाड़े के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.05.2018 को कैम्प कोर्ट चोगावड़ी मे बिना किसी लिखित राजीनामे के रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 वादीगण की उपस्थिति मे अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2018 निरस्त फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अपील के समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2022 पार्ट 1 पेज 61 व आर.आर.टी. 2022 पार्ट 2 पेज 988 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि फर्द बंटवाड़ा तैयार किये जाने का कर्तव्य स्वयं तहसीलदार कमिश्नर का है। फिर भी तहसीलदार कमिश्नर द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से फर्द बंटवाड़ा तैयार करवाया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया व उसी फर्द बंटवाड़े पर लोक अदालत के तहत बिना किसी लिखित राजीनामे के अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 वादी व अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4/1, 4/2 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र का प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र उक्त वर्णित सहखातेदारी की कृषि आराजीयात के संबंध मे प्रस्तुत किया गया। उक्त पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विचाराधीन रहते हुए लोक अदालत मे नियत हुई व लोक अदालत मे सुना जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। तत्पश्चात प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे फर्द बंटवाड़ा मंगवाया जाकर उक्त फर्द बंटवाड़ा विधि सम्मत होने से उक्त फर्द बंटवाड़े के आधार उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है । फर्द बंटवाड़े पर तहसीलदार स्वयं के हस्ताक्षर है। विवादित आराजीयात के रास्ते व पक्षकारान के मध्य हिस्से का ध्यान रखा जाकर उक्त फर्द बंटवाड़ा तैयार किया गया है जो विधि अनुसार होने व राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होने से अपीलान्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 7 व 8 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री को उभय पक्षकारान के राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार होने से विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्टगण प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 वादीगण ने सहखातेदारी की कृषि आराजीयात के बंटवाड़े व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र अपीलान्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 8 प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसमे मौजा आजोलिया का खेड़ा की खाता संख्या 245 , 250 व 251 मे दर्ज उक्त वर्णित विवादित

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कृषि आराजीयात के संबंध मे बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा की दाद चाहते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया जिसमे अपीलांटगण व प्रतिवादीगण संख्या 3 से 8 की बिना तामील हुए बिना सूचना व बिना किसी लिखित राजीनामे के दिनांक 17.05.2018 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर उभय पक्षकारान के राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज हक व हिस्से अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्डस अनुसार बंटवाड़ा किये जाने हेतु तहसीलदार गंगरार को कमिश्नर नियुक्त किया गया। जिसकी पालना मे तहसीलदार कमिश्नर स्वयं के द्वारा उभय पक्षकारान को सूचित किये बिना पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक के द्वारा फर्द बंटवाड़ा तैयार किया जाकर कमिश्नर ने स्वयं के प्रति हस्ताक्षर कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द बंटवाड़े पर अपीलांटगण वादीगण के कहीं भी हस्ताक्षर होना नहीं पाया जाता है और न ही अपीलांटगण प्रतिवादीगण को सूचित किया जाना पाया जाता है। जिससे अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2022 पार्ट 1 पेज 61 व आर.आर.टी. 2022 पार्ट 2 पेज 988 इस प्रकरण पर चस्पा होने से व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत फर्द बंटवाड़ा, जो बंटवाड़ा नियम 18 से 21 के अनुसार विधिपूर्वक नहीं होने से अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 25/2018 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2018 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पत्रावली मे कमिश्नर स्वयं के द्वारा उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे बंटवाड़ा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए मौजा आजोलिया का खेड़ा की खाता संख्या 245, 250 व 251 मे दर्ज उभय पक्षकारान के राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज अलग-अलग हक व हिस्से के अनुसार फर्द बंटवाड़ा तैयार किया जाकर उक्त फर्द बंटवाड़े पर उभय पक्षकारान की आपत्ति व ऐतराज को सुना जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे दिनांक 17.11.2022 को सुनवाई हेतु स्वंय उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज0)